



प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-24 मार्च, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृत्रिम गर्भाधान की योजना (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद के पत्र संख्या-2070(5)/197/आरसी-एआई/यूपीएलडीबी/2025-26, दिनांक-17.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-20-कृत्रिम गर्भाधान की योजना (रा.यो.) के निम्नलिखित मानक मदों में ₹0-275.47 लाख (रूपये दो करोड़ पचहत्तर लाख सैंतालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र० द्वारा धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
42-अन्य व्यय	63.86
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	211.61
योग-	275.47

(रूपये दो करोड़ पचहत्तर लाख सैंतालिस हजार मात्र)

- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० पशुधन विकास परिषद योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ०प्र० भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ०प्र० प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में 30प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
 8. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है तो अर्जित ब्याज को योजना की गाइडलाइन्स/वित्त विभाग के संगत दिशा निर्देशों के अनुरूप राजकोष में जमा करने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 30प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ का होगा।
 9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 10. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 63,86,000 (रुपये तिरैसठ लाख छियासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 2403001022000** कृत्रिम गर्भाधान की योजना (राज्य योजना) **मानक मद 42** अन्य व्यय (2) रुपये 2,11,61,000 (रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख इकसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 015 लेखा शीर्षक 2403001022000** कृत्रिम गर्भाधान की योजना (राज्य योजना) **मानक मद 58** आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

संयुक्त सचिव।

पू0सं0-68/2026/632(1)/सैंतीस-2-2026/002-1(34)/2015. तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 30प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।